



योजना तथा वास्तुकला विद्यालय
SCHOOL OF PLANNING AND ARCHITECTURE
संसद के अधिनियम के तहत "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान"
An "Institution of National Importance" under an Act of Parliament
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)/(Ministry of Education, Govt. of India)
4-ब्लाक -बी, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली/4, Block-B, Indraprastha Estate, New Delhi -02
फ़ोन/Tel: 011-23702382-80, फ़ैक्स/Fax: 011-23702383 www.spa.ac.in

Ref.No.F.39-3/2025/SPA (Estt.)

27th August, 2025

CIRCULAR

CGHS Reimbursement Guidelines/ सीजीएचएस प्रतिपूर्ति दिशानिर्देश

- सभी सीजीएचएस लाभार्थियों को सीजीएचएस वेलनेस सेंटर के चिकित्सा (सभी सीजीएचएस शहरों में) सीएमओ द्वारा रेफर किए जाने के बाद/अधिकारी, सीजीएचएस के पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों से ओपीडी परामर्श लेने की अनुमति होगी। पैनल अस्पताल में परामर्श के बाद, लाभार्थी को संबंधित वेलनेस सेंटर में वापस रिपोर्ट करना होगा, जहाँ चिकित्सा अधिकारी/सीएमओ सूचीबद्ध जांच की अनुशंसा करेंगे और सीजीएचएस डिस्पेंसरी से दवाईया जारी की जाएगी।
All CGHS beneficiaries (in all CGHS cities) shall be permitted for seeking OPD consultation from Specialists at private hospital empaneled under CGHS after being referred by Medical Officer/CMO of CGHS wellness Centre. After consultation with the empaneled hospital beneficiary shall report back to concerned wellness center where MO/CMO would endorse the listed investigation and issue medicine from CGHS Dispensary.
- पैनल में शामिल निजी अस्पताल में जांच रिपोर्ट प्राप्त करने और विशेषज्ञ से परामर्श के बाद यदि आगे किसी प्रक्रिया/ऑपरेशन की आवश्यकता हो तो लाभार्थी को परामर्श पर्ची पर उल्लिखित कोड प्राप्त करने होंगे और उन कोडों की अनुमति सीजीएचएस वेलनेस सेंटर से अनुमोदित करानी होगी।
After getting the reports of the investigation and consultation with the specialist in the private empaneled hospital, if further procedure/operation is required then, beneficiary shall get the codes mentioned on the consultation prescription and get permission for those codes endorsed from CGHS wellness Centre.
- विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित दवाइयाँ सीजीएचएस डिस्पेंसरी द्वारा प्रदान की जाएंगी। यदि दवाइयाँ सीजीएचएस में उपलब्ध नहीं हैं, तो उन्हें सीजीएचएस द्वारा मंगवाया जाएगा।
Medicines prescribed by the specialist shall be supplied by CGHS Dispensary. If medicines not available at CGHS then it shall be indented by CGHS.
- सभी सीजीएचएस शहरों में लाभार्थी किसी भी सरकारी अस्पताल में सीधे विशेषज्ञ से ओपीडी परामर्श ले सकते हैं, इसके लिए किसी रेफरल की आवश्यकता नहीं होगी।
Beneficiaries in all CGHS cities can avail OPD consultation from Specialist in any Government Hospital directly without the need of any referral.

5. 70 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थी पैनेल में शामिल अस्पतालों में सीधे ओपीडी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, इसके लिए सीजीएचएस से किसी रेफरल की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी जांच/उपचार/सर्जरी/प्रक्रिया की सलाह दी जाती है, तो उसके लिए हॉस्पिटल की वैध पर्ची (प्रेस्क्रिप्शन) आवश्यक होगी। आपातकालीन स्थिति में सीजीएचएस से किसी अतिरिक्त अनुमति या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
Beneficiaries over the age of 70 years can directly avail the OPD facilities at the empaneled hospital without any referral from the CGHS. If any investigations/treatment/surgery/procedure are advised than valid prescription of Hospital is required. In Emergency Cases, no additional permission or endorsement is required from CGHS.
6. आपातकालीन स्थिति में सीजीएचएस लाभार्थी को किसी भी सरकारी / निजी पैनेल अस्पताल / निजी अस्पताल, लेकिन प्रतिपूर्ति सीजीएचएस के नियमों और दरों के अनुसार ही की जाएगी। (रिइम्बर्समेंट)
In Emergency CGHS beneficiary may be admitted to any Government/Private empanelled Hospital/ Private Hospital, but the reimbursement will be done at CGHS rules and rates.
7. ऐसे मामलों में, यदि प्रतिपूर्ति की आवश्यकता होती है, तो निजी अस्पताल को एक आपातकाल प्रमाण पत्र जारी करना होगा, जिसमें भर्ती के समय रोगी की स्थिति का विस्तृत विवरण होना चाहिए, जो आपातकाल की स्थिति को उचित ठहराता हो।
In such cases, if reimbursement is required, the private hospital has to issue an emergency certificate stating in detail the condition of the patient at the time of admission which justified emergency.
8. जब पैनेल में शामिल अस्पताल में उपचार प्रक्रिया की जाती है, तो उसमें संबंधित प्रीऑपरेटिव- जांचें, दो प्री ओप और दो पोस्ट ओप परामर्श पात्रता के अनुसार कक्ष शुल्क, दवाइयाँ और भर्ती अवधि के दौरान सभी सुविधाएँ शामिल होती हैं।
When the treatment procedure is done at empaneled hospital, it includes related pre-operative investigations, two pre op and two post op consultation, room charges as per entitlement, medicines and all such facilities during admission period.
9. पैनेल में शामिल अस्पताल सीजीएचएस लाभार्थी को छुट्टी देते समय आवश्यक दवाइयाँ 7 दिनों के लिए प्रदान करेगा।
Empaneled hospital will supply essential medicine for 7 days, on discharge of a CGHS beneficiary.
10. सीजीएचएस वेलनेस सेंटर के किसी भी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया रेफरल तीन महीनों के लिए मान्य होगा। इस अवधि के दौरान, यदि प्राथमिक विशेषज्ञ द्वारा अनुशंसा की जाती है, तो लाभार्थी दो और विशेषज्ञों से परामर्श ले सकता है, अर्थात् कुल तीन विशेषज्ञों से परामर्श की अनुमति होगी। तीन महीने की इस वैधता अवधि में अधिकतम 6 बार परामर्श की अनुमति होगी (सीजीएचएस नियमों के अनुसार)
A referral issued by any Medical Officer of a CGHS Wellness Centre will be valid for three months during this period. The beneficiary may consult two more specialists i.e. up to total of three Specialists, if recommended by the primary specialist. A maximum 6 consultations shall be allowed during this validity period of 3 months. (as per CGHS Rules)
11. सीजीएचएस द्वारा सूचीबद्ध जांच के लिए दी गई सलाह 90 दिनों के लिए मान्य होगी।
Advice of CGHS for listed investigation shall be valid for 90 days.
12. सीजीएचएस द्वारा सूचीबद्ध उपचार के लिए दी गई सलाह 3 महीनों के लिए मान्य होगी।
Advice of CGHS for listed treatment shall be valid for 3 months.

13. यदि पैनल में शामिल अस्पताल के विशेषज्ञ द्वारा सलाह दी गई कोई भी सूचीबद्ध जांच चिकित्सा आपातकाल के रूप में तुरंत आवश्यक हो और इसकी प्रमाणित पुष्टि हो, तो उसे उसी अस्पताल में कराया जा सकता है।
If any listed investigation advised by Specialist of empaneled hospital is required urgently as medical emergency and certified as such, may be undertaken in the same hospital.
14. गैर-सूचीबद्ध जांच/उपचार प्रक्रिया के लिए, केवल स्वायत्त निकायों के मामले में संबंधित विभाग से अनुमति आवश्यक है।
For unlisted investigation/treatment procedure, permission is required from concerned department only in the case of Autonomous Bodies.
15. प्रारंभिक रेफरल जारी होने की तिथि से 3 महीने की वैधता अवधि के भीतर, नियमित सूचीबद्ध जाँचों और छोटी-मोटी प्रक्रियाओं, जिनमें विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार अस्पताल में जाँच की आवश्यकता नहीं होती, के लिए सीजीएचएस से किसी और अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। हालाँकि, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, पेट स्कैन जैसी विशेष जाँचों और 3000/- रुपये से अधिक की लागत वाली किसी भी अन्य जाँच के लिए सीजीएचएस से रेफरल अनुमोदन आवश्यक होगा और रेफरल 3 महीने के लिए वैध होगा।
No further endorsement from CGHS shall be required for undergoing routine listed investigations and minor procedures, not requiring Admission in the hospital as advised by the specialist within the validity period of 3 months from the date of issue of the initial referral. However, Referral endorsement from CGHS shall be required for special investigations like CT Scan, MRI Scan, Pet Scan and any other investigation costing over Rs. 3000/- and the referral will be valid for 3 months.
16. अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद छह (06) महीने के भीतर मेडिकल दावा/बिल प्रस्तुत किया जाना चाहिए अन्यथा दावा समयबद्ध हो जाएगा और देरी को माफ करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी आवश्यक है।
Medical Claim/bill should be submitted within Six (06) months after discharge from Hospital, Otherwise claim will be time barred and sanction of the Competent Authority is required to condone the delay.

सीजीएचएस के नियमों के तहत समय समय पर जारी किए किसी भी संसोधन या अद्यतन को उपलब्ध कराया जाएगा और उसे लागू किया जाएगा।

Any revisions or updates issued under CGHS rules from time to time shall be provided and will be implemented accordingly.

चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है।


List of Documents to be attached as follows for Medical Reimbursement

1. पूरी जानकारी सहित सही तरीके से भरा हुआ एमआरसी फॉर्म (सेवारत/पेंशनधारक)। व्यक्तिगत और रोगी का सीजीएचएस कार्ड की प्रति।
Duly filled MRC Form by Serving/Pensioners with complete details with CGHS card copy of card holder and patient.
2. सीजीएचएस द्वारा दिये गए रेफरल/जांच/प्रक्रिया की वैध पर्ची लगी होने चाहिए।
Valid slip of referral/investigation/procedure issued by CGHS must be attached.

(अ-मार्ग) (अ-मार्ग) (अ-मार्ग)
Section Officer (Medical)
CGHS
आर.बी.एस. (अ-मार्ग) (अ-मार्ग) (अ-मार्ग)
R.B.S. (A-Marg) (A-Marg) (A-Marg)

3. सीजीएचएस पैनेलबद्ध अस्पताल/डॉक्टर का वैध पर्चा - उपचार कर रहे डॉक्टर द्वारा सही हस्ताक्षरित प्रिस्क्रिप्शन जिसमें किसी भी जांच, उपचार, भर्ती या सर्जिकल प्रक्रिया की सलाह दी गई हो उसका विवरण हो।
Valid Prescription of CGHS Empaneled Hospital/Doctor - A duly signed prescription from the treating doctor indicating the advised diagnostic tests, treatment, admission, or surgical procedure.
4. मूल अस्पताल के बिल और रसीदें - खर्चों का विस्तृत विवरण सहित सभी मूल बिल, रसीदें और भुगतान प्रमाण पत्र, जो अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा सही ढंग से हस्ताक्षरित और मुहरबंद हों, साथ ही स्व-प्रमाणित भी हो।
Original Hospital Bills & Receipts - With a detailed break-up of expenses, all original bills, receipts, and payment proofs duly signed and stamped by hospital & diagnostic centre, and also self-attested.
5. इम्प्लांट/दवा के बिल (यदि लागू हो) - इम्प्लांट, स्टेंट या खरीदी गई दवाइयों के मूल बिल, जिनमें बैच नंबर, ब्रांड नाम और लागत हो।
Implants/Medicine Bills (if applicable) - Original bills for implants, stents, or medicines purchased with batch number, brand name, and cost.
6. आपातकालीन प्रमाण पत्र (यदि जरूरत हो)
Emergency Certificate (if required)
7. हलफनामा - यदि मूल दस्तावेज खो गए हों, तो सामान्य हानि के लिए परिशिष्ट I के अनुसार या कार्डधारक के मृत्यु होने पर परिशिष्ट II के अनुसार हलफनामा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
Affidavits - If original papers are lost, affidavits as per Annexure I (for general loss) or Annexure II (in case of death of the cardholder) should be submitted.
8. डिस्चार्ज सारांश।
Discharge Summary.
9. बैंक विवरण की प्रतिलिपि।
Bank Details Copy.
10. प्रतिपूर्ति के लिए यदि कोई अतिरिक्त दस्तावेज आवश्यक होगा तो उन्हें सीजीएचएस नियमों के अनुसार दावा कर्ता से मांगा जा सकता है।
Additional documents, if any required for reimbursement purpose may be requested to claimant as per CGHS rules.

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।
This issues with the approval of the Competent Authority.


(मनोहर लाल)
अनुभाग अधिकारी

To

All Faculty/Staff/Pensioners/Non- Pensioners

अनुभाग अधिकारी (स्थापना)
Section Officer (Establishment)
योजना तथा वास्तुकला विद्यालय
School of Planning & Architecture
नई दिल्ली - 110022 / New Delhi - 110022